प्रपत्र-11

परियोजना का नाम:— जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड़ से चिलौण्ड़ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वनभूमि की माँग का औचित्य का प्रमाण - पत्र

जनपद रुद्रप्रयाग का सीमान्त गांव–चिलौण्ड़ (कुल आबादी 311) वर्तमान में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा प्राप्त करने जहां विघार्थियों को प्रतिदिन 2.00 कि0मी0 पैदल चलकर ग्राम कोटमा आना पड़ता है वहीं स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिये ऊखीमठ या गुप्तकाशी आना पड़ता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को 2.00 कि0मी0 की पैदल दूरी तय करने से राहत मिलेगी तथा आम जनता का तहसील मुख्यालय, ब्लाक तथा चिकित्सालय आदि से सम्पर्क स्थापित हो जायेगा।

प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण जिस क्षेत्र में होना है उसका अधिकतम भाग केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्य जीव अभ्यारण में है जिस हेतु भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति ले ली गयी है (प्रतिलिपि प्रस्ताव के साथ संलग्न है)। आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त इस क्षेत्र में सिविल वन भूमि है। समरेखण में ली गयी आवेदित वन भूमि अपरिहार्य है।

अतः ली गयी 1.610 है0 वन भूमि न्यूनतम है। समरेखण का चयन करते समय इस बात का विषेश ध्यान रखा गया है कि समरेखण पर कम से कम वन भूमि पड़े तथा कम से कम वृक्षों के पातन की आवश्यकता हो।

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)